



Neutral Citation No. - 2026:AHC:66683

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 4278 सन् 2026

श्रीमती सुमन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

राज कुमार धमा, समरथ सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी., यतींद्र

न्यायालय संख्या 52

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रत्यर्थी 2, 3 और 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यतींद्र की दलीलें सुनी गईं।

यह याचिका जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, शामली द्वारा दिनांक 11.3.2026 को पारित निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है और याचिकाकर्ता को उस पद पर बहाल करने की प्रार्थना की गई है जिस पर वह आदेश पारित होने से पहले कार्यरत थीं और उक्त पद पर उनके शांतिपूर्ण कार्य में हस्तक्षेप न करने की भी प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थीं, को निम्नलिखित तीन आरोपों के आधार पर निलंबित किया गया है:

"श्रीमती सुमन, प्रभारी प्रधानाध्यापिका (प्रा०वि० एलम-3, विकास क्षेत्र कांधला, शामली) को आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों हेतु बी०एल०ओ० (BLO) के रूप में दायित्व सौंपे गए हैं। उक्त आदेश 16476-82/2025-26 दिनांक 05.02.2026 द्वारा भारत निर्वाचन के अनुक्रम में संबंधित अध्यापिका द्वारा अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित गंभीर कदाचार किए गए हैं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. निर्वाचन कार्य की अवहेलना: जनहित और संवैधानिक बाध्यता के बावजूद निर्वाचन जैसे अति-महत्वपूर्ण कार्य को करने से स्पष्ट इंकार करना, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 के अंतर्गत एक दहनीय अपराध है।

2. घोर अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार: इस संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देशों की अवहेलना करना तथा उनके साथ अमर्यादित एवं अभद्र भाषा (Misconduct) का प्रयोग करना। यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

3. राजकीय कार्यों में बाधा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न कर राजकीय कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करना।

अतः, श्रीमती सुमन, प्रभारी प्रथानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय एलम 3, विकास क्षेत्र कांडला को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की शर्तें एवं निर्देश:

जांच अधिकारी इस प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी, उ.न एवं कांधला को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। जांच अधिकारी 15 दिवस के भीतर आरोप पत्र (Charge sheet) तैयार कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। यह जादेश तत्काल प्रभात से लागू होगा।

(क) निलम्बन अवधि में उक्त अध्यापिका को वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(ख) जीवन निर्वाह भत्ता: उन्हें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा, यदि वे इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि वे किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हैं।

(ग) निलम्बन अवधि में उक्त अध्यापिका प्रा०वि० गढीरामकौर, विकास क्षेत्र कांधला में सम्बद्ध रहेगी।"

उनका कहना है कि यद्यपि इसमें उल्लेख है कि दिनांक 5.2.2026 के एक पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (बीएलओ) के रूप में चुनाव कार्य सौंपा गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था, लेकिन निलंबन आदेश में उल्लिखित आरोप संख्या 1 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कौन सा कार्य नहीं किया है। अन्य दो आरोप केवल कदाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित हैं। इसलिए, आक्षेपित आदेश अस्पष्ट, संदिग्ध और मनमाना है, अतः विधि की दृष्टि से गलत है।

उन्होंने पैराग्राफ 43-46 पर जोर देते हुए आगे कहा कि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और याचिकाकर्ता के बीच कुछ बातचीत हुई थी और उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया, जो याचिकाकर्ता को निलंबित करने के पीछे के पूर्वाग्रहों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

उन्होंने आगे निवेदन किया कि यदि आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं, तो भी वे किसी बड़े दंड के योग्य नहीं हैं, इसलिए निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम-4 का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है।

दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-बीएसए के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 5.2.2026 के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को सौंपा गया चुनाव कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया है, जो याचिकाकर्ता के कदाचार को दर्शाता है। अतः याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है। आरोप पत्र में विस्तृत आरोप लिखे जाएंगे और याचिकाकर्ता को उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

इस न्यायालय का यह मत है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और दस्तावेज विभागीय जांच में बचाव के रूप में काम आ सकते हैं, क्योंकि विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ता को अपनी निर्दोषता साबित करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जाए और विधि के अनुसार, यथाशीघ्र, इस आदेश की प्रमाणित प्रति अनुशासनात्मक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा।

(न्यायमूर्ति श्रीमती मंजू रानी चौहान)

28 मार्च, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एल.एन. त्रिपाठी

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।